हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11, 12 नियम 14 के तहत पेश किया गया है । आदेश 11 नियम 14 के प्रावधान दावे पर लागू होते हैं न कि अपील में । यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट राजस्व रिकॉर्ड नकल जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल, नामान्तरकरण एवं खसरा गिरदावरी को तलब करने की प्रार्थना कर रहे हैं जबकि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट स्वयं इन दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त कर पेश कर सकते हैं । राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियों को तलब करने हेतु पेश किया गया यह प्रार्थना पत्र तद्नुसार खारिज होने योग्य है ।

अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 11, 12 नियम 14 व धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है । रेस्पोडेन्ट यदि नकल जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी एवं मिलान क्षेत्रफल की प्रतियॉ पेश करना चाहते हैं तो वो प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त कर न्यायालय में पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं । पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 07.04.2020 को पेश हो ।

आदेश आज दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/3/2020

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

19/6/20 कोविड - 19 के कारण पत्रावली आज पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 14/7/20 को पेश हो

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

14/7/20 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 11/8/20 को पेश हो

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11/8/20 वकील उभयपक्ष उपस्थित। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से मिसल तलब करने का पत्र प्राप्त हुआ। उक्त पत्र में नियत तारीख पेशी दिनांक 30/9/2020 से पूर्व न्यायालय हाजा की पत्रावली (2018/163) राजस्व मण्डल में भिजवा दी जावे। पत्रावली बाद निर्णय राजस्व मण्डल से प्राप्त होने पर पुनः दर्ज रजिस्टर की जावे। पत्र शामिल रहे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर (बानम्बर सैकमह)

(भागवन्ती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwanti Jethwani
Date: 2020.08.25 15:19:47 IST
Reason: SelfAttested